

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—437 / 2010

संस्थित दिनांक—28.06.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1— रंजीतदास पिता नरबदास, उम्र—28 साल,  
निवासी—ग्राम पर्रापुर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.),

2— सभाजीतदास पिता सरबदास, उम्र—28 साल,  
निवासी—ग्राम पर्रापुर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.), — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक— 20 / 1 / 2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा—341 / 34, 294, 506 (भाग—दो) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—11.06.2010 को समय शाम करीब 07.00 बजे स्थान अलकदास के घर के सामने ग्राम पर्रापुर मोहगांव अंतर्गत थाना बैहर जिला बालाघाट उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उस उसके अग्रसरण में स्थान में फरियादी परदेशीदास के मार्ग में स्वेच्छया बाधा डाली जिससे वह व्यक्ति उस दिशा में जाने से निवारित हुआ, जबकि वह उस दिशा में जाने का अधिकारी था एवं प्रार्थी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उसको लोहे की राड व हाथ—मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा उसको संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—11.06.2010 को समय शाम करीब 07.00 बजे स्थान शाम करीब 07.00 बजे परदेशीदास आम तोड़कर घर जा रहा था कि अलकदास के घर के सामने ग्राम पर्रापुर में आरोपी रंजीतदास एवं सभाजीतदास पनिका मिला और उसका रास्ता रोककर बोले मादरचोद तू हमारे साथ नागपुर कमाने गया था, वहां से हमको छोड़कर आ गया, तेरी माँ बहन को चोदू तुम बहुत होशियार बनते हो कहकर गन्दी—गन्दी गालियां देने लगे। रंजीतदास ने लोहे की राड से उसके मस्तक व सिर पर मारा एवं सभाजीतदास ने हाथ—मुक्कों से मारपीट की और बोले की साले को जान से खत्म कर दो, वह जमीन पर गिर गया, तभी घनघेरदास, गौतमदास, गरजनदास, ज्योतिबाई ने बीच—बचाव किया। घटना की

रिपोर्ट फरियादी ने थाना बैहर में आरोपीगण के विरुद्ध की, जिस पर पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-58/10, धारा-341, 294, 323, 506 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294, 323/34, 506 (भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-11.06.2010 को समय शाम करीब 07.00 बजे स्थान अलकदास के घर के सामने ग्राम परारपुर मोहगांव अंतर्गत थाना बैहर जिला बालाघाट उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उस उसके अग्रसरण में स्थान में फरियादी परदेशीदास के मार्ग में स्वेच्छया बाधा डाली जिससे वह व्यक्ति उस दिशा में जाने से निवारित हुआ, जबकि वह उस दिशा में जाने का अधिकारी था ?
2. क्या आरोपीगण ने प्रार्थी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3. क्या आरोपीगण ने प्रार्थी को लोहे की राड व हाथ-मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
4. क्या आरोपीगण ने प्रार्थी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

#### विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत परदेशीदास (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना शाम 7:30 बजे ग्राम परारपुर स्थित अलकदास के घर के पास की है, उस समय वह आम तोड़ कर आ रहा था तो रास्ते में उसे आरोपीगण ने मादरचोद, बहनचोद की गालियां देते हुए, हाथ-मुक्के व लोहे की राँड से मारपीट किये थे, जिससे उसके सिर पर चोट आई थी। आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, उसने घटना की थाना बैहर में रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लिखाई थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आरोपीगण से उनके परिवार की पूर्व रंजीश है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप साक्ष्य में कथन किये हैं, जिसमें परस्पर

विरोधाभास व लोप होना प्रकट नहीं होता है। मात्र पूर्व रंजिश के तथ्य के आधार पर साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कारण प्रकट नहीं होता है।

6— ज्योतिबाई (अ.सा.5) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण व फरियादी परदेशीदास को पहचानती है। घटना दो-तीन वर्ष पुरानी शाम 5-6 बजे की है, उस समय वह अपने घर के पास आम के पेड़ के पास खड़ी थी। उस समय फरियादी परदेशीदास काम करके आ रहा था, तो आरोपी सभाजीतदास ने परदेशीदास को पकड़ लिया और आरोपी रंजीतदास ने बैलगाड़ी से लोहे की शिवार से मारपीट किया था, उक्त मारपीट से परदेशीदास को सिर पर चोट लगी थी, जिससे वह गिर गया था। परदेशीदास को घटनास्थल से उठाकर घर ले गए थे। उस समय उसके पिता घनघेरदास भी थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आरोपीगण व फरियादी के मध्य किस बात का विवाद हुआ था, वह नहीं बता सकती। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी से घटना देख रही थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से इस बारे में चुनौती दी गई है, उसने पुलिस को बयान देते समय में बैलगाड़ी की लोहे की शिवार मारने वाली बात बताई थी, जो पुलिस कथन में लेख नहीं है। यद्यपि साक्षी के पुलिस कथन के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा आरोपीगण द्वारा रॉड से मारपीट करने की जानकारी पुलिस को दी थी। अतएव उक्त तथ्य को महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं लोप के रूप में नहीं माना जा सकता। वास्तव में साक्षी ने आरोपी रंजीतदास के द्वारा आहत परदेशीदास को लोहे की रॉड से मारपीट कर चोट पहुंचाने और आरोपी सभाजीतदास के द्वारा उक्त मारपीट में सहायोग किये जाने की स्पष्ट साक्ष्य पेश की है, जिस पर अविश्वास किये जाने का कारण प्रकट नहीं होता है।

7— गौतमदास (अ.सा.) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आहत व आरोपीगण को जानता है। घटना आज से लगभग दो वर्ष पूर्व की है उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपीगण ने परदेशीदास को गाली-गलौज कर मारपीट कर चोट पहुंचाई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है।

8— गर्जनदास (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण व प्रार्थी परदेशीदास को भी जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया था। उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने परदेशीदास का रास्ता रोककर उसके साथ गाली-गलौज की थी। उसने यह भी अस्वीकार किया आरोपीगण ने परदेशीदास को जान से मारने की धमकी दी थी और आरोपीगण ने परदेशीदास को लोहे की रॉड से मारापीट की थी। उसने आरोपीगण से पहचान होने के कारण उनको बचाने के लिए

झूठे कथन कर रहा है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है।

9— घनघेरदास (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना के समय अलकदास के घर के सामने मारपीट हुई थी और वह घटना के बाद पहुंचा था, तथा वहां पहुंचने पर उसने परदेशीदास को घायल अवस्था में देखा था। उसे यह जानकारी हुई थी कि आरोपीगण ने परदेशीदास को लोहे की रॉड से मारपीट की थी। घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण द्वारा परदेशीदास को माँ-बहन की गालियां बकी थी, किन्तु उसके सामने मारपीट किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल में हल्ला होने पर पहुंचा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे बाद में जानकारी हुई कि लामा-झूमी में गिरने से आहत को सिर पर चोट आई थी। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में न करते हुए मात्र घटना होने के पश्चात् मौके पर पहुंचने पर पश्चात्वर्ती वृत्तांत को पेश किया है।

10— डॉ.एन.एस. कुमरे (अ.सा.6) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 11.06.10 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को बैहर से आरक्षक सालिकराम कर्मांक-181 द्वारा आहत परदेशीदास पिता उमनदास उम्र 23 वर्ष निवासी-पर्रापुर को परीक्षण हेतु लाया गया था। उसने आहत के सिर के बाईं ओर कटा-फटा घाव, तथा पीठ व पेट में साधारण चोट होना पाई थी। आहत की चोट पर टॉके लगाए गए थे। आहत का एक्सरे कराने पर अस्थिभंग नहीं होना पाया था। आहत की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 एवं एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से घटना के समय आहत परदेशीदास को साधारण उपहति कारित होने की समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है, जिस पर अविश्वास किये जाने का कारण प्रकट नहीं होता है।

11— प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण आहत परदेशीदास (अ.सा.1) व चक्षुदर्शी साक्षी ज्योति (अ.सा.5) की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आरोपीगण ने मिलकर फरियादी व आहत परदेशीदास को लोहे की रॉड से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा उक्त फरियादी का रास्ता रोककर उसको निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित करते हुए लोक स्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे क्षोभ भी कारित किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में यह प्रावधानित किया गया है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। विधि के अन्तर्गत साक्ष्य गिनी नहीं जाती है अपितु तौली जाती है। इस प्रकार मात्र अन्य साक्षीगण के द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने से उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कारण व आधार प्रकट नहीं होता है। यद्यपि अभियोजन की ओर से



प्रस्तुत उक्त महत्वपूर्ण साक्षी परदेशीदास (अ.सा.1) व ज्योति (अ.सा.5) की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी परदेशीदास को जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

12— उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में ऐसे कथन नहीं किये हैं कि आरोपीगण के द्वारा कथित जान से मारने की धमकी देने के फलस्वरूप फरियादी को ऐसा डर व भय से आतंकित होना पड़ा, जिससे उसे अभित्रास कारित हुआ हो। मामले में यह स्पष्ट है कि फरियादी के द्वारा घटना के तत्काल पश्चात् आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। ऐसी दशा में फरियादी का कथित धमकी से संत्रास कारित होने या आपराधिक अभित्रास कारित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

13— अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी के द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के घर के सामने उसे अश्लील शब्द का उच्चारण कर उसको तथा दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 में उक्त स्थान सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्शित किया गया है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा लोक स्थान में फरियादी परदेशीदास को अश्लील शब्दों को उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित करने का तथ्य प्रमाणित होता है। साथ ही आरोपीगण का घटना के समय आहत परदेशीदास को निश्चित ही उपहति कारित करने का आशय था तथा आरोपीगण के उक्त कृत्य से आहत परदेशीदास को साधारण चोट पहुंची थी। आरोपीगण के द्वारा किया गया उक्त कृत्य आहत परदेशीदास को स्वेच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है। उक्त आरोपीगण ने एकमत होकर आहत परदेशीदास को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत परदेशीदास मारपीट कर उपहति कारित की गई, जिस अपराध हेतु दोनों आरोपीगण समान रूप से जिम्मेदार हैं।

14— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोक स्थान पर फरियादी का रास्ता रोककर उसको निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित करते हुए लोक स्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा आहत परदेशीदास को लोहे की रॉड, हाथ-मुक्के व लात से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अंतराम को सदोष अवरोध कारित कर उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294, 323/34 के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 (भाग-दो) के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

15— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

16— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

17— मामले में आरोपीगण ने आहत परदेशीदास को साधारण उपहति पहुंचायी है। मामले में आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 294, 323/34 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 500/—(पाँच सौ रुपये), 500/—(पाँच सौ रुपये), 1000/—(एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 294, 323/34 के अपराध के अंतर्गत एक—एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

18— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट